प्रकरण संख्या 30 / 19 RCMS ID-2019 / 00136 ता0रजू 02.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

शिवसिंह मीना पुत्र श्री धनपत मीना निवासी ग्राम पंचायत दरगमा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0)

— अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली (राज0)

— रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ विनिमय आदेश 1976 एवम् जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2019 के अन्तर्गत

निर्णय

दिनांक 09.10.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय जांच दल दिनांक 12.02.2019 को अपीलार्थी की राशन दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें 9.74 क्विं. चीनी, 4.90 क्विं. गेंहूं का दुरुपयोग करने, राशनकार्डों में राशन सामग्री वितरण का इन्द्राज नहीं करने, पोस से पर्ची नहीं देने व यूनिट से कम मात्रा देने संबंधी अनियमितता पाये जाने पर आदेश दिनांक 28.05.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि विवादित आदेश दिनांक 28.05.2019 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवम् विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से ग्राम पंचायत दरगमा, तहसील मण्डरायल जिला करौली के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण कार्य करता रहा है। राजनैतिक दबाव के कारण जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार संयुक्त जांच दल द्वारा दिनांक 12.02.2019 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गई जिसके उपरान्त जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र का निलंबित किया जाकर दिनांक 18.02.2019 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें मुख्य रूप से 4.90 क्विंटल गेंहू, 9.74 क्विंटल चीनी का दुरूपयोग एवं 3079 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण बाबत् आरोप अंकित किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत दरगमा के अलावा ग्राम पंचायत ओण्ड के 1 / 2 भाग का अस्थाई अटैचमेंट लगा हुआ था जिसमें प्रार्थी को ग्राम पंचायत दरगमा के लिये पोश मशीन कोड 8208 एवं ग्राम पंचायत ओण्ड के लिये पोश मशीन कोड 19543 आवंटित की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा दोनों ग्राम पंचायतों के उपभोक्ताओं को पोश मशीन द्वारा बायोमेट्रिक रूप से मिलान करने पर रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता किया जाना संभव नही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पोश मशीन से रसद सामग्री का वितरण ऑनलाईन होने के कारण उपभोक्ता के

जिला कलक्टर
करौली

मोबाईल पर रसद सामग्री प्राप्ति का मैसेज आ जाता है। अतः उक्त प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी/अनियमितता किये जाने की संभावना कतई रूप से नहीं हो सकती बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित माना जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया जो कि विधिसम्मत नहीं होने के कारण विवादित आदेश दिनांक 28.05.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योकिं वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री देय हो जाती है इसलिये उपभोक्ता के राशनकार्ड में सामग्री का इन्द्राज नहीं होने मात्र से डीलर के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप नहीं लगाया जा सकता लेकिन उक्त प्रकरण में प्रार्थी के ऊपर रसीद न देने बाबत् आरोप अंकित किया गया जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रसद सामग्री की प्राप्ति का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर आ जाता है। जांच दल द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित दिशा-निर्देशो को दरकिनार कर मनमाने ढंग से बिना उचित जांच व निष्कर्ष पारित किये केवल मात्र उपभोक्ताओं के मौखिक बयान एवं उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत खाली राशनकार्डो को आधार मानते हुए रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप लगाया गया जो कि कतई रूप से न्यायोचित नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जांच दल द्वारा अपने स्वयं के विभाग की पोश मशीन प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर दिया क्योंकि एकतरफा तो नियमानुसार संपूर्ण रसद सामग्री का वितरण पोश मशीन द्वारा ऑनलाईन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश पारित किये गये है जिसमें स्वतः ही रसद सामग्री दिये जाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है जिसकी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कही से भी प्राप्त की जा सकती है दूसरी तरफ विभाग केवल मात्र उपभोक्ताओं के बयानों के आधार पर ही रसद सामग्री प्राप्त नहीं होने के आधार पर डीलर के विरूद्ध कालाबाजारी का आरोप लगा दिया जाता है जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रसद सामग्री प्राप्त करने के लिये उपभोक्ता को राशनकार्ड लाना आवश्यक नहीं है केवल मात्र भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने मात्र से ही रसद सामग्री प्राप्त हो जाती है। उक्त समस्त तथ्यों को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कन्सीडर नहीं कर अहम कानूनी भूल की है। अतः विवादित आदेश दिनांक 28.05.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पोश मशीन में रसद सामग्री का स्टॉक जिला रसद अधिकारी करौली कार्यालय द्वारा डाला जाता है एवं प्रार्थी द्वारा केवल मात्र उपभोक्ताओं के आधार कार्ड का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर रसद सामग्री का वितरण किया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन के अनुसार केरोसीन तेल का वितरण पोश मशीन द्वारा किया गया है एवं किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक वितरण पोश मशीन द्वारा नहीं किया जा सकता। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन के अनुसार केरोसीन तेल का वितरण पोश मशीन द्वारा किया गया है एवं

जिला कलक्टर
करौली

किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक वितरण पोश मशीन द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा उचित रूप से उठाव किये गये केरोसीन की जांच नहीं की गई केवल मनमाने ढंग से दोनो पोश मशीनों के पेटे 3079 लीटर केरोसीन का आवंटन से अधिक वितरण माना गया जो कतई रूप से संभव नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा अवशेष स्टॉक अटैच डीलर को सुपुर्द कर दिया गया लेकिन अटैच डीलर द्वारा सम्पूर्ण अवशेष स्टॉक का उठाव नहीं किया गया जिसके कारण प्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली को दिनांक 10.05.2019 को पत्र लिखकर शेष स्टॉक सुपुर्द किये जाने बाबत् अनुमति मांगी गई बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गई वरन् राजनैतिक दबाव में आकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण व निष्कर्ष के अपने आदेश दिनांक 28.05.2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया जबकि प्रार्थी द्वारा अटैच डीलर को अवशेष स्टॉक सुपुर्द कर दिया गया बावजूद जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अहम कानूनी भूल की है। अतः विवादित आदेश दिनांक 28.05.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आदेश दिनांक 28.05.2019 में जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा यह उल्लेखित किया है कि प्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को यूनिट से कम गेंहू देना, पोश मशीन से प्राप्ति की पर्ची नही देना एवं राशन कार्डो में इन्द्राज नही करने बाबत कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह स्पष्ट रूप से लिखित किया है कि प्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को यूनिट के अनुसार ही रसद सामग्री का वितरण किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा जवाब के साथ रसद सामग्री के उठाव बाबत् सम्पूर्ण बिल पेश कर दिये गये बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा बिना किसी ठोस निष्कर्ष के प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुये निरस्त कर दिया। अतः विवादित आदेश दिनांक 28.05.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकरी करौली द्वारा विवादित आदेश दिनांक 28.05.2019 पारित करने से पूर्व ना तो जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करावाई गई एवं ना ही कोई दस्तावेज बयानात आदि की कॉपी उपलब्ध करवाई गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.06.2019 को सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त की गई जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि पत्रावली पर ऐसी कोई भी ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित माना जा सके। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोपों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अहम कानूनी भूल की है। अतः विवादित आदेश दिनांक 28.05.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान है एवं प्रार्थी के ऊपर कोई गम्भीर आरोप नही है एवं प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है उसके बावजूद जिला रसद करौली द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त माप–तौल में छीजत भी हो जाती है जिसे राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 25.03.1994 में 1.5 प्रतिशत तक स्वीकार किया है। अतः विवादित आदेश दिनांक 28.05.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि दिनांक 12.02.2019 को जिला रसद अधिकारी द्वारा मय टीम अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त जांच अपीलार्थी राशन वितरण करता हुआ मिला। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने अवगत करवाया कि अपीलार्थी राशन डीलर यूनिट के अनुसार गेंहूं नहीं देकर कम देता है। अपीलार्थी वितरण मात्रा व दिनांक का इन्द्राज राशन कार्ड में नहीं करता है ना ही पोस मशीन की पर्ची देता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी राशन डीलर

जिला कलक्टर
करौली

की अस्थायी व्यवस्था की दुकान की जांच अपीलार्थी के पुत्र की उपस्थिति में की गई। कार्यालय अभिलेख एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर दोनों दुकानों की ऑडिट की गई जिसमें कुल 11.82 क्विं. चीनी के स्थान पर 2.08 क्विं. चीनी पायी गई। इस प्रकार 9.74 क्विं. चीनी कम पायी गई। 4.90 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। केरोसीन का 3079 लीटर आमद से अधिक वितरण किया गया जो कि गंभीर अनियमितताएं हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम दिनांक 12.02.2019 को अपीलार्थी की राशन दुकान एवं अस्थायी व्यवस्था की दुकान का निरीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.05.2019 में यह आरोप लगाया है कि 3059 लीटर केरोसीन का आमद से अधिक वितरण किया गया जबकि ऑनलाइन वितरण की व्यवस्था में आवंटन से अधिक वितरण किया जाना संभव नहीं है। पोस मशीन में जितना आवंटित स्टॉक का इन्द्राज किया जावेगा उससे अधिक का वितरण किया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त माप–तौल में छीजत भी हो जाती है जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 25.03.1994 में 1.5 प्रतिशत तक माना है। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा शेष स्टॉक को अटैच डीलर को सुपुर्द भी कर दिया गया है जिसका पूर्ण उठाव अटैच डीलर द्वारा नहीं किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा अदालत मातहत को पेश प्रार्थना पत्र बाबत् अटैच डीलर को सुपुर्द किये जाने की स्वीकृति देने पर भी अदालत मातहत द्वारा गौर नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी के कथनों से सहमत हैं एवं प्रकरण को जिला रसद अधिकारी करौली को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली